न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

दिनांक 13.03.2023

अभियुक्त जफर उल्लाह द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–40 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–40 अभियुक्त जफर उल्लाह की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 11.00 बजे रात में लिखित शिकायत थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2018 को देवरिया जेल में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा जो लोग अतीक अहमद को जानते थे, जिनके साथ उसका वित्तीय विवाद था। जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–810/18 धारा धारा–147, 149, 386, 329, 420, 467, 468, 471, 394, 506 सपठित धारा 120बी. भा0द0सं0 में दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को दिनांक 26.12.2018 को अतीक अहमद(पूर्व एम.पी.) के सहयोगियों द्वारा उसे उसके घर से जबरन अपहरण करते हुए देवरिया जेल ले जाया और बलपूर्वक शिकायतकर्ता की 4 फर्मो को अपने सहयोगी फारूख व जकी अहमद के नाम स्थानान्तरित करवा लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे मारते पीटते हुए उसकी कार को भी छीन ली गई। यह भी कथन किया गया कि शिकायतकर्ता की नियत पैसों को लेकर शुरू से ही खराब थी और उनके द्वारा पैसों का दुरूपयोग किया गया और जब शिकायतकर्ता के कार्यो का विरोध किया गया तो दुर्भावना से अतीक अहमद व उनके परिवार को गलत तरीके से उनके वित्तीय अधिकारों को समाप्त करने तथा शिकायतकर्ता के समक्ष झुकने के उद्वेश्य से झूंठे प्रकरण में फंसा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आवेदक अभियुक्त पर यह आरोप लगाया है कि घटना के समय अतीक अहमद ने घटना के समय किसी व्यक्ति को जफर उल्लाह के नाम से सम्बोधित किया था। विवेचना में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता आवेदक अभियुक्त को नहीं जानता है। जफर उल्ला की शिनाख्त परेड में देरी होने के कारण उसका साक्ष्य अमान्य है। उस पर लगाये गये आरोप गलत है। घटना के समय सम्बन्धित जेल अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। आवेदक अभियुक्त शिकायतकर्ता को जनता पहचानता नहीं है। आवेदक अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा एवं सी0बी0आई0 द्वारा जब भी शिकायतकर्ता का बयान लिया गया उसमें विरोधाभाष पाया गया है। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल अपने व्यापार के सिलसिले में अतीक अहमद से अक्सर जेल में मिलने जाया करता था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी अभियोजन कथानक से मेल नहीं खाती है। आवदेक अभियुक्त के पास से मामले से सम्बन्धित कोई भी बरामदगी नहीं है। आवेदक अभियुक्त प्रश्नगत लेन देन का न तो साक्षी है और न ही लाभार्थी है। उसके विरूद्व कोई भी साक्ष्य नहीं है और न ही लगाये गये आरोप उस पर साबित होते है। उसके विरूद्व दर्ज कराई गई शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप बोगस व निराधार है। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा जिसमें अभियुक्त जफर उल्ला भी सामिल थे। उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में स्वीकार किया है कि मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के डराने व धमकाने पर वह सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी के आश्वासन पर उसके साथ स्वयं की गाडी नं0 यू0पी032 जे आर 1804 फारच्यूनर से देवरिया जेल गया था, जहॉ मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के निर्देश पर आवेदक/अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तों ने मिल कर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा बलपूर्वक डरा धमका कर कई दस्तावेजों पर उसके व उसकी बहन के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। दौरान विवेचना उक्त वाहन सह अभियुक्त की अभिरक्षा से स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद करते हुए अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया था। शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण अपोलो मेडिक हास्पिटल लखनऊ में किया गया। मेडिको रिपोर्ट में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गई थी तथा अन्य गम्भीर चोटे आई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित किया गया था कि शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल द्वारा दिनांक 26.12.2018 को समय करीब 3.बजे अपराहन देवरिया जेल में कुछ लोगों के समूह द्वारा उसको मारा पीटा गया था। शुरू में शिकायतकर्ता मेन्टल शॉक में था। बाद में उसने थाना कृष्णानगर लखनऊ में 28. 12.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और लोक बंधु अस्पताल शासकीय अस्पताल में उसका पुनः विधिक चिकित्सीय परीक्षण हुआ।

सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त जफरउल्ला विवेचना के दौरान लिये गये मोबाइल टावर के लोकेशन से भी यह तथ्य साबित होता है कि दिनांक 26.12.2018 को आवेदक अभियुक्त देवरिया जेल में था। सी0बी0आई0 का यह भी कथन है कि मोहित जायसवाल व आरती जायसवाल के हस्ताक्षरयुक्त त्याग पत्र आवेदक अभियुक्त जफर उल्ला द्वारा ही पवन कुमार सिंह को दिया गया था जिसने महेन्द्र सिंह, जो कि सी0ए0 नितीश मिश्रा के कर्मचारी है, को वॉटसएप पर भेजा था और उक्त त्यागपत्र को सी0ए0 नितीश मिश्रा के आफिस के कम्प्यूटर पर डॉउनलोड किया गया था और साथ ही आरओसी के वेबसॉइट पर सुसंगत फार्म के साथ अपलोड कर दिया गया था। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा द्वारा टी.आई.पी. के दौरान आवेदक अभियुक्त जफर उल्ला की शिनाख्त भी की गई थी। विवेचनोंपरांत आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयान व दस्तावेजों की सूची भी दाखिल की गई है जिसमें आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा व एक अन्य साक्षी,जो कि घटना के समय देवरिया जेल के उसी बैरक में निरूद्व था, किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत इस स्तर पर उक्त साक्षी का नाम प्रकट नहीं किया गया, का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मोबाइल टावर लोकेशन, अभियुक्त की सीडीआर, मेडिको लीगल रिपोर्ट आदि भी पत्रावली पर उपलब्ध है। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467,468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध

किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष द्वारा बहस करते हुए तर्क देते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त 60 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त की पहचान भी नहीं की है और न ही शिनाख्त भी कराई गई है। उस पर मुख्य रूप से यह आरोप है कि दिनांक 26.12.2018 को शिकायतकर्ता से जेल में कम्पनी से सम्बन्धित जिन पेपरों पर हस्ताक्षर कराया था वह जफरउल्ला के मोबाइल से सह अभियुक्त महेनद्र के पास लखनऊ भेजे गये थे। आवेदक/अभियुक्त को धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया था। पूर्व के बयान में उसका नाम नहीं था। उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को लगाये गये आरोप से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर वादी मुकदमा को देवरिया जेल में धमकी देते हुए मारा पीटा गया तथा बलपूर्वक डरा धमका कर कई दस्तावेजों पर उसके व उसकी बहन के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण अपोलो मेडिक हास्पिटल लखनऊ में किया गया। मेडिको रिपोर्ट में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गई थी तथा अन्य गम्भीर चोटे आई थी। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा द्वारा टी.आई.पी. के दौरान आवेदक अभियुक्त जफर उल्ला की शिनाख्त भी की गई थी। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्व ारा यह अभिमत दिया गया है कि ‘It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया

गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त घटना के समय देवरिया जेल में मौजूद रहने का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और इस सम्बन्ध में साक्ष्य उपलब्ध है कि उसके द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर वादी मुकदमा को देवरिया जेल में धमकी देते हुए मारते पीटते हुए डरा धमका कर बलपूर्वक कई दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता व उसकी बहन के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। उक्त मारपीट में शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण अपोलो मेडिक हास्पिटल लखनऊ में तत्पश्चात लोकबंधु अस्पताल में कराया गया। जिससे इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि उक्त मारपीट में शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गई थी तथा अन्य गम्भीर चोटे आई थी। वादी मुकदमा द्वारा टी.आई.पी. के दौरान आवेदक अभियुक्त जफर उल्ला की शिनाख्त भी की गई थी। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्व ारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जफर उल्ला द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–40 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:41:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court